झारखण्ड सरकार

झारखण्ड सरकार

वाणिज्य-कर विभाग

आवश्यक सूचना

झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन निबंधन प्राप्त करने के संबंध में।

झारखण्ड राज्य के सभी व्यवसायियों को पूर्व में विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से सूचित किया गया है कि झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 8 (5) के अधीन व्यवसायियों पर निम्नवत् कर की देयता बनती है :-

व्यवसायियों का वर्गीकरण लगातार किसी 12 महीने में या उससे पूर्व सकल आवर्त्त

a. राज्य के बाहर से वस्तुओं का आयात कर राज्य के अंदर बिक्री करने की स्थिति में- शून्य

b. किसी वस्तु के उत्पादन/विनिर्माण कर उसकी बिक्री करने की स्थिति में - रू0 50,000/- से अधिक

c. राज्य के भीतर व्यवसाय करने की स्थिति में - रू0 5,00,000/- से अधिक

d. कार्य संविदा तथा वस्तुओं के लीजिंग (Leasing) का कार्य करने की स्थिति में - रू0 25,000/- से अधिक

e. रेस्टोरेंट, भोजनालय, रिफ्रेच्चमेंट रूम, बॉर्डिग, एस्टब्लीच्चमेंट, फैक्ट्री, कैंटीन, क्लब - रू0 2,00,000/- से अधिक
एवं केटरर्स एवं उनके द्वारा परोसे जाने एवं उपभोग के लिए तैयार किये गये

भोजन या अन्यथा तैयार की गयी मिठाईयाँ, ताजे स्नेक्स इत्यादि

f. ईंटों की बिक्री एवं आपूर्ति में लगे हुए ईंट भट्ठा मालिकों द्वारा संचालित प्रक्रिया - रू0 1,00,000/- से अधिक

g. स्टोन क्रसर्स इकाईयां: स्टोन बोल्डर्स, स्टोन चिप्स, स्टोन डस्ट की बिक्री या - रू0 1,00,000/- से अधिक
आपूर्ति में लगे हुए, यंत्रचालित या अन्यथा

h. बेकरीः गैर यंत्रचालित - रू0 2,00,000/- से अधिक

तदनुसार पूर्व में निदेशित किया गया है कि उपर्युक्त स्थितियों में, किसी एक में भी कर देयता होने पर, एक माह की अवधि में, झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2006 के नियम 3 के अधीन निबंधन हेतु विहित आवेदन प्रपत्र JVAT 101 में आवेदन देकर निबंधन प्राप्त करना अनिवार्य है।

राज्य की वेबसाईट www.jharkhand.gov.in तथा विभागीय वेबसाईट www.jharkhandcomtax.nic.in से विहित प्रपत्र JVAT 101 को डाउनलोड किया जा सकता है।

विभाग के सभी अंचलों द्वारा प्रत्येक बुधवार को निबंधन हेतु प्राप्त आवेदनों के त्वरित निश्पादन के लिए निबंधन-शिविर की व्यवस्था की गयी है।

सभी व्यवसायीगण अवगत हैं कि कर-देयता रहने के बावजूद निबंधन नहीं लेने की स्थिति में प्रमादी व्यवसायी झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की सुसंगत धाराओं के अधीन अर्थदण्ड के भागी होंगे।

अतः राज्य के समस्त व्यवसायियों से पुनः अनुरोध है कि निबंधन हेतु वांछित सूचनाओं तथा संबंधित कागजात के साथ विहित प्रपत्र में आवेदन प्रपत्र समर्पित करें ताकि ससमय TIN तथा निबंधन प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सके।

वाणिज्य-कर विभाग,
झारखण्ड, राँची।